एम.पी. 2019 (1) राजस्व निर्णय 222 म.प्र. उच्च न्यायलय)

धारा 32– अंतर्निहित शक्ति का क्षेत्र स्पष्ट किया गया। यह असाधारण स्वरुप की शक्ति है और विधिक युक्ति के रुप में प्रयोग में लाई जाती है। **(शंकुतला (श्रीमती) बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2019 (1) राजस्व निर्णय 222 म.प्र. उच्च न्यायलय)**

धारा 32– अंतर्निहित शक्ति के क्षेत्र को स्पष्ट किया गया। यह शक्ति न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये व न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए आशयित है। **(शंकुतला (श्रीमती) बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2019 (1) राजस्व निर्णय 222 म.प्र. उच्च न्यायलय)**

2. रिकार्ड गुम या चोरी हो जाने के मामले में प्रक्रिया

धारा 32– वर्तमान पुनरीक्षण को राजस्व मण्डल के समक्ष अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.10.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार के थे कि आवेदिका द्वारा तहसील सिरोंज के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया गया था कि ग्राम सरवरपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकवा 1.467 हेक्टयर उसके पति के नाम दर्ज थी और उसके पति का स्वर्गवास हो गया है। अतः उक्त भूमि उसके नाम दर्ज की जाए। चूँकि मृतक ने उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी। तहसीलदार ने प्रकरण रजिस्टर्ड कर कार्यवाही आरंभ की थी। मामले में इश्तिहार का प्रकाशन किया गया था। इश्तिहार का प्रकाशन

Scanned with OKEN Scanner

होने पर अनावेदक ने प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत की थी । यह इस आशय की थी कि मृतक भूमि-स्वामी द्वारा दिनांक 21.3.1994 को उसके पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया गया है। इसलिए विवादित भूमि पर उसका नामांतरण किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.1999 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अपर आयुक्त ने दिनांक 22.10.2002 को आदेश पारित किया था और इसमें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त कर दी थी। इससे व्यथित होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई थी और यह प्रकरण क्रमांक 2790-तीन/2002 पर दर्ज होकर कार्यवाही आरंभ की गई थी। दिनांक 7.7.2004 को राजस्व मण्डल के अध्यक्ष के संज्ञान में यह बात आने पर कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख चोरी हो गया है, उनके द्वारा इस प्रश्न का निराकरण पूर्णपीठ से कराया जाना प्रस्तावित किया गया कि क्या भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए पक्षकारों की सहमति से प्रमाणित प्रतिलिपियों के आधार पर कार्यवाही की स्थिति है अथवा नहीं। प्रकरण में उभय-पक्ष के अभिभाषकगण सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे थे। न्याय-मित्र अभिभाषकों द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रकरण में अभिलेख चोरी हो जाने का कारण उपलब्ध नहीं है अतः न्याय-हित में उभय-पक्ष की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से संबंधित दस्तावेजों की सत्यपतिलिपियाँ/फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ और जिन पर उभय-पक्ष सहमत हों तब प्रकरण का निराकरण उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस संबंध में पूर्णपीठ का मत है कि चूँकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख चोरी हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं है और जिसके मिलने की संभावना भी नगण्य है ऐसी स्थिति में प्रकरण को अनावश्यक रुप से लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें अभिलेख गुम हो जाने अथवा चोरी हो जाने से उपलब्ध न होने की स्थिति है उन प्रकरणों में उभय-पक्ष की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों से सहमत हों तो उनके आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाए। **(नर्वदी बाई (श्रीमती) बनाम नारायण, 2016(1) एम.पी.आर.डी. 293:2016 राजस्व निर्णय 77 म.प्र.राजस्व मण्डल)**

धारा 32– अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड चोरी हो गया था । इस कारण वह उपलब्ध नहीं हुआ था । उसके मिलने की संभावना भी न के बराबर थी। ऐसी स्थिति में उसे लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं माना गया। ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें रिकार्ड गुम होने की स्थिति है अथवा चोरी हो जाने के कारण उपलब्ध न होने की स्थिति है उनमें उभयपक्ष की ओर अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण में संबंधित दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियाँ/फोटोप्रतियाँ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। यदि उभयपक्ष उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियों से सहमत हों तब उनके आधार पर प्रकरण का निराकरण कर लिया जाए।

अभिनिर्धारित– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार सिरोंज के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सरवरपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 1 रकवा 1.467 हेक्टर उसके पति जमुनालाल के नाम दर्ज थी और उसके पति जमुनालाल का स्वर्गवास हो चुका है अतः उक्त भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जाए, क्योंकि मृतक जमुनालाल ने

Scanned with OKEN Scanner

उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई इश्तिहार का प्रकाशन होने पर अनावेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि मृतक भूमिस्वामी जमुनालाल द्वारा दिनांक 21.3.1994 को उसके पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया गया है इसलिए विवादित भूमि पर उसका नामांतरण किया जाए। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.6.1998 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 भाग पर आवेदिका का नामांतरण स्वीकार किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.1999 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.10.2002 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई, जिसे निगरानी प्रकरण क्रमांक 2790–तीन/2002 पर दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। दिनांक 7.7.2004 को अध्यक्ष के संज्ञान में यह तथ्य आने पर कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख चोरी हो गया है। उनके द्वारा इस प्रश्न का निराकरण पूर्णपीठ से कराया जाना प्रस्तावित किया गया कि *''क्या संहिता की धारा 32 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए पक्षकारों की सहमति से प्रमाणित प्रतिलिपियों के आधार पर कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं?*

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे। न्यायमित्रगण अभिभाषकों द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रकरण में अभिलेख चोरी हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं हैं, अतः न्यायहित में उभयपक्ष की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से संबंधित दस्तावेजों की सतय प्रतिलिपियाँ/फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ, और जिन पर उभयपक्ष सहमत हो, तब प्रकरण का निराकरण उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किया जाना उचित होगा।

इस संबंध में पूर्णपीठ का मत है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख चोरी हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं है, और जिसके मिलने की संभावना नगण्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अनावश्यक रुप से लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें अभिलेख गुम हो जाने अथवा चोरी हो जाने से उपलब्ध नहीं है, उन प्रकरणों में उभयपक्ष की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियाँ/फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ और यदि उभयपक्ष उपरोक्त दस्तावेज की प्रतियों से सहमत हो, तब उनके आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाए।

(नर्वदी बाई (श्रीमती) बनाम नारायण, 2016(1) एम.पी.आर.डी. 293:2016 राजस्व निर्णय 77 म.प्र.राजस्व मण्डल)

Scanned with OKEN Scanner